# संविधान एवं नियम
# 2006

# बहुजन शक्ति

रजि0:– 56 / 101 / 2006 / **J.S.** III / 2801

केन्द्रीय पंजीकृत कार्यालयः माइन्स रेस्क्यू स्टेशन परिसर. डाँ0.अम्बेदकर स्कुल.
बस्ताकोला धंनसार,धनबाद (झारखण्ड)

# अनुक्रमणिका

## भाग 1 : संविधान


| धारा | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नाम व शीर्षक | 1 |
| 2. | परिभाषाएं | 1 |
| 3. | संकल्प व उद्देश्य | 2 |
| 4. | झण्डा | 2 |
| 5 | संगठनात्मक ढांचा | 3 |
| 6. | प्राथमिक इकाई | 4 |
| 7. | ब्लाक इकाई | 4 |
| 8. | तहसील इकाई | 6 |
| 9. | विधान सभा इकाई | 7 |
| 10. | जिला इकाई | 8 |
| 11. | मंडल इकाई | 10 |
| 12. | राज्य इकाई | 12 |
| 13. | राष्ट्रीय इकाई | 14 |
| 14. | निकाय का खुला अधिवेशन | 17 |
| 15. | विषय निर्धारण समिति | 18 |
| 16. | विशेष अधिवेशन | 19 |
| 17. | कार्यकाल | 19 |
| 18. | सदस्यता | 19 |
| 19. | सदस्यता विवरण | 21 |

| | | |
|---|---|---|
| 20. | मतदाता एवं प्रत्याशियों की योग्यताएं | 22 |
| 21. | निकाय के आन्तरिक चुनाव | 22 |
| 22. | निकाय के आन्तरिक चुनाव विवाद | 23 |
| 23. | रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति | 23 |
| 24. | राष्ट्रीय अध्यक्ष | 24 |
| 25. | केन्द्रीय संसदीय बोर्ड | 25 |
| 26. | प्रदेश संसदीय बोर्ड | 26 |
| 27. | चुनाव घोषणा पत्र समिति | 26 |
| 28. | मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं संगठन | 27 |
| 29. | अनुशासनिक कार्यवाही समितियां | 27 |
| 30. | चन्दे से प्राप्त धन/सदस्यता शुल्क का वितरण | 27 |
| 31. | निकाय का बैंक खाता | 27 |
| 32. | पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य | 28 |
| 33. | विशेष प्रतिनिधित्व | 29 |
| 34. | विलय विघटन | 29 |
| 35. | संविधान संशोधन | 29 |


## भाग 2 : नियम


| | | |
|---|---|---|
| 1. | शीर्षक | 30 |
| 2. | परिभाषाएं | 30 |
| 3. | प्राथमिक इकाई | 30 |
| 4. | ब्लाक इकाई | 31 |
| 5. | तहसील इकाई | 31 |
| 6. | विधान सभा क्षेत्र इकाई | 32 |
| 7. | जिला इकाई | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | मंडल इकाई | 33 |
| 9. | राज्य इकाई | 34 |
| 10. | राष्ट्रीय इकाई | 34 |
| 11. | सदस्यता | 35 |
| 12. | सदस्यता फार्म | 37 |
| 13. | सदस्यता विवरण | 40 |
| 14. | सदस्यता की छानबीन | 41 |
| 15. | विशेष प्रतिनिधित्व | 42 |
| 16. | निकाय के आन्तरिक चुनाव | 43 |
| 17. | कार्यकारिणियों के चुनाव | 46 |
| 18. | चुनाव सम्बन्धी विवाद | 47 |
| 19. | बोर्ड, मोर्चे, प्रकोष्ठ व समितियों का गठन | 48 |
| 20. | अनुशासन सम्बन्धी नियम | 49 |
| 21. | निलम्बन का अधिकार | 51 |
| 22. | अनुशासन भंग होना | 52 |
| 23. | नोटिस | 53 |
| 24. | दण्ड | 53 |
| 25. | अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्याएं | 53 |
| 26. | अपील | 54 |
| 27. | अपील पर कार्यवाही/निस्तारण | 54 |
| 28. | कार्यवाहक अध्यक्ष | 55 |
| 29. | विशेष | 55 |


## भाग 3 : फार्म


| | | |
|---|---|---|
| क | प्राथमिक सदस्यता आवेदन पत्र | 56 |
| ख | क्रियाशील सदस्यता आवेदन पत्र | 58 |

# बहुजन शक्ति

## धारा–1, नाम व शीर्षक

पार्टी का नाम **बहुजन शक्ति** होगा। तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

यह संविधान **बहुजन शक्ति** का संविधान होगा तथा पार्टी की घोषणा की तिथि से लागू होगा।

## धारा–2, परिभाषाएं

जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :

1. **निकाय** का तात्पर्य **बहुजन शक्ति** से होगा।
2. **आयोग** का तात्पर्य भारतीय निर्वाचन आयोग से होगा।
3. **संविधान** का तात्पर्य पार्टी के संविधान से होगा।
4. **सदस्य** का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो इस संविधान के अनुसार पार्टी के सदस्य बनेंगे।
5. **राज्य** शब्द के अन्तर्गत भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों से है।
6. **जिला** शब्द में वे सभी शहर सम्मिलित हो जहां नगर निगम हो।
7. **वर्ष** से तात्पर्य वित्त वर्ष से है अर्थात वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।
8. **वर्तमान** से तात्पर्य उस समयावधि से है जिसके लिए चुनाव आदि हो रहे है।

## धारा–3 क संकल्प

निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा।

## धारा–3 ख उद्देश्य

1. नकाय का लक्ष्य पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबाराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, सवीत्री बाई फूले, विरांगना झलकारी बाइ, विरसा मूंडा, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम के विचारो व संघषों को आदर्श मानते हुए आर्थिक और राजनैतिक शोषण से मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना है ।

2. निकाय का लक्ष्य एक ऐसे जन मत का निर्माण करना है जिसमें सम्पूर्ण समाज का हित हो। देश को स्वदेशी व उचित तकनीक प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे उसका सर्वागीण विकास किया जा सके।

4. जाति और धर्म से उपर उठ कर सम्पूर्ण देशवासियों में शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक सोच पैदा करके परस्पर भाई–चारे के साथ मानवतावादी समाज की रचना करना और सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत लोंगों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाकर भारत को पुन;स्वर्ण युग तक पहुँचाना ।

## धारा–4 झण्डा

निकाय का झण्डा नीले व काले रंग का होगा । झण्डे की लम्बाई चौड़ाई से डेढ गुनी हागी । काला भाग खड़ी पट्टी में 1/8 (एक बटा आठ) होगा तथा बाहर की और रहेगा । निकाय का नाम/संक्षिप्त नाम झण्डे के बीच में रहेगा । चुनाव चिन्ह स्थायी हो जाने पर नाम के स्थान पर चुनाव चिन्ह रहेगा ।

## धारा–5 संगठनात्मक ढांचा

निकाय के निम्न अंग होंगे :–

| | |
|---|---|
| **1. प्राथमिक इकाई** | न्याय पंचायत, सैक्टर, ग्राम पंचायत और बूथ कमेटी। |
| **2. ब्लाक इकाई** | ब्लाक परिषद्<br>ब्लाक कमेटी |
| **3. तहसील इकाई** | तहसील परिषद<br>तहसील समिति |
| **4.विधान सभा इकाई** | विधान सभा परिषद<br>विधान सभा समिति |
| **5. जिला इकाई** | जिला परिषद<br>जिला कार्यकारिणी |
| **6. मंडलीय इकाई** | मंडल परिषद<br>मंडल कार्यकारिणी |
| **7. राज्य इकाई** | राज्य परिषद<br>राज्य कार्यकारिणी |
| **8. राष्ट्रीय इकाई** | राष्ट्रीय परिषद<br>राष्ट्रीय कार्यकारिणी<br>राष्ट्रीय मुख्य सभा |

**9 खुला अथवा विशेष अधिवेशन**

## धारा–6, प्राथमिक इकाई

### (क) प्राथमिक कमेटी :–

1. प्राथमिक कमेटी की स्थापना न्याय पंचायत, सैक्टर, ग्राम पंचायत और बूथ कमेटी लेवल पर की जायेगी तथा ऐसे क्षेत्रों मे की जायेगी जहां कम से कम 50 प्राथमिक तथा एक क्रियाशील सदस्य हो, जिसका निर्धारण, संबंधित जिला परिषद करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रारम्भिक इकाई की स्थापना ऐसे स्थान पर भी की जा सकती है जहां कम से कम 15 प्राथमिक सदस्य हों।

2. प्राथमिक कमेटी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे जिनमें प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा इकाई के निर्वाचित अध्यक्ष भी शामिल है।

3. प्राथमिक कमेटी का अध्यक्ष पार्टी का क्रियाशील सदस्य होगा।

4. प्राथमिक कमेटी के सदस्यों में से अध्यक्ष एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

5. प्राथमिक इकाइयां जिनकी सदस्य संख्या 50 तक है अपने में से एक तथा 50 से अधिक होने पर प्रत्येक 50 या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सदस्य चुनकर ब्लाक परिषद के लिए भेजेंगे।

6. प्राथमिक इकाई के सदस्य अपने में से एक सदस्य चुनकर संबंधित तहसील परिषद के लिए भेजेंगे।

## धारा–7, ब्लाक इकाई

### क) ब्लाक परिषद

1. इस परिषद के निम्न सदस्य होंगे :–

   (i) प्राथमिक कमेटियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, तथा इन कमेटियों के अध्यक्ष, एवं

   (ii) क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों में पार्टी के सदस्य, एवं

(iii) निकाय के सभी मोचो व प्रकोष्ठों के स्तरीय पदाधिकारी,

2. सामान्यतः जब तक 50 प्रतिशत प्राथमिक कमेटियों का गठन नहीं हो जाता तब तक ब्लाक परिषद का गठन नहीं होगा। किन्तु इसका निर्णय संबंधित जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी की सहमति से करेगी।

3. ब्लाक परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

4. ब्लाक परिषद के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे

(i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ii) कार्यकारिणी के लिये 10 सदस्य ।

(iii) 2 सदस्य संबंधित तहसील परिषद के लिए।

(iv) 1 सदस्य संबंधित विधान सभा परिषद के लिए।

**ख) ब्लाक कमेटी :–**

1. ब्लाक कमेटी में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होंगे। विशेष परिस्थितियों में यह संख्या जिला कार्यकारिणी की सहमति से कम या अधिक की जा सकती है। इनका चुनाव परिषद के सदस्य करेंगे।

2. अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 1 |
| 2 | सचिव | 1 |
| 3 | संयुक्त सचिव | 2 |
| 4 | सलाहकार | 1 |
| 5 | कोषाध्यक्ष | 1 |

3. अध्यक्ष अपने अधीनस्थ प्राथमिक कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगा।

4. ब्लाक कमेटी का अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम दो बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

## धारा–8, तहसील इकाई

### क) तहसील परिषद :–

1. इस परिषद के निम्न सदस्य होंगे :–
   (i) प्राथमिक कमेटियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, एवं
   (ii) ब्लाक इकाईयों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, तथा इन इकाइयों के अध्यक्ष, एवं
   (iii) क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों में पार्टी के सदस्य, एवं
   (iv) निकाय के सभी मोर्चो व प्रकोष्ठों के स्तरीय पदाधिकारी, एवं
   (v) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, एवं
2. सामान्यतः जब तक 50 प्रतिशत ब्लाक इकाइयों का गठन नहीं हो जाता तब तक तहसील परिषद का गठन नहीं होगा। किन्तु इसका निर्णय संबंधित जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी की सहमति से करेगी।
3. तहसील परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।
4. तहसील परिषद के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे
   (i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।
   (ii) कार्यकारिणी के लिये 12 सदस्य ।
   (iii) 5 सदस्य संबंधित विधान सभा परिषद के लिए।
   (iv) 2 सदस्य संबंधित जिला परिषद के लिए।
   (v) 1 सदस्य संबंधित मंडल परिषद के लिए।

### ख) तहसील समितिः–

1. इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होंगे। विशेष परिस्थितियों में यह संख्या जिला कार्यकारिणी की सहमति से कम या अधिक की जा सकती है। इनमें से 12 सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव परिषद के सदस्य करेंगे तथा 2 सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा।

2. अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 2 |
| 2 | सचिव | 1 |
| 3 | संयुक्त सचिव | 4 |
| 4 | कोषाध्यक्ष | 1 |

3. अध्यक्ष् अपने अधीनस्थ कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगा।

4. तहसील समिति का अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम दो बार समिति की बैठक आयोजित करेगा।

## धारा–9, विधान सभा इकाई

### क) विधान सभा परिषद

1. इस परिषद के निम्न सदस्य होंगे :–

   (i) ब्लाक इकाइयों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, एवं

   (ii) तहसील इकाईयों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, तथा इन इकाइयों के अध्यक्ष, एवं

   (iii) क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समितियों और नगरपालिका में निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अध्यक्ष, एवं

   (iv) निकाय के सभी मोर्चो व प्रकोष्ठों के स्तरीय पदाधिकारी, एवं

   (v) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, एवं

2. सामान्यतः जब तक 50 प्रतिशत तहसील इकाइयों का गठन नहीं हो जाता तब तक विधान सभा परिषद का गठन नहीं होगा। किन्तु इसका निर्णय संबंधित जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी की सहमति से करेगी।

3. विधान सभा परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

4. विधान सभा परिषद के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे

(i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ii) कार्यकारिणी के लिये 17 सदस्य ।

(iii) 5 सदस्य संबंधित जिला परिषद के लिए।

(iv) 2 सदस्य संबंधित मंडल परिषद के लिए।

(v) 1 सदस्य संबंधित राज्य परिषद के लिए।

### ख) विधान सभा समितिः–

1. इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 21 सदस्य होंगे। विशेष परिस्थितियों में यह संख्या जिला कार्यकारिणी की सहमति से कम या अधिक की जा सकती है। इनमें से 17 सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव परिषद के सदस्य करेंगे तथा 3 सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा।

2. अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 4 |
| 2 | मुख्य सचिव | 1 |
| 3 | सचिव | 2 |
| 4 | संयुक्त सचिव | 4 |
| 5 | कोषाध्यक्ष | 1 |

3. अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगा।

4. विधान सभा समिति का अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार समिति की बैठक आयोजित करेगा।

## धारा–10 जिला इकाई

### (क) जिला परिषद

1. जिला परिषद में निम्न सदस्य होंगे :–

(i) जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तहसील इकाइयों के चुने गये प्रतिनिधि, एवं

(ii) जिला परिषद के अधीनस्थ विधान सभा क्षेत्र परिषदों से जिला परिषदों के लिए चुने गये प्रतिनिधि एवं इन इकाइयों के अध्यक्ष, एवं

(iii) संबंधित जिला इकाई के अन्तर्गत स्वायत संस्थाओं में निकाय के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 10 प्रतिशत सदस्य, एवं

(iv) जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो तथा जो वर्तमान में निकाय के क्रियाशील सदस्य हों, एवं

(v) जिले में निवास करने वाले निकाय के समस्त विधायक व सांसद, परन्तु ये जिला कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकते, एवं

(vi) जिले के नगर निगम, नगर पालिका एवं जिला पंचायत में निकाय के नेता, एवं

(vii) सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के जिलास्तरीय पदाधिकारी, एवं

(viii) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 10 सदस्य।

2. जिला परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

3. जिला परिषद के सदस्य के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे

(i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ii) जिला कार्यकारिणी के लिये 18 सदस्य ।

(iii) 5 सदस्य संबंधित मंडल परिषद के लिए।

(iv) 2 सदस्य संबंधित राज्य परिषद के लिए।

(v) 1 सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए।

## (ख) जिला कार्यकारिणी :–

1. जिला कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या 21 होगी। जिनमें से अध्यक्ष के अतिरिक्त 18 सदस्यों का चुनाव निर्धारित नियमों के अनुसार जिला परिषद के सदस्य करेंगे।

2. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहने वाले किन्ही 2 व्यक्तियों को नियमानुसार मनोनीत कर सकता है।

3. जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 4 |
| 2 | मुख्यसचिव | 1 |
| 3 | सचिव | 2 |
| 4 | उपसचिव | 4 |
| 5 | कोषाध्यक्ष | 1 |

4. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी प्रदेश अध्यक्ष की पूर्वानुमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जो बैठकों में तो भाग लेगा किन्तु यह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

5. अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कमेटियों व समिति के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य करेगा।

6. जिला अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

## धारा–11 मंडल इकाई

### (क) मंडल परिषद

1. मंडल परिषद में निम्न सदस्य होंगे :–

   (i) मंडल परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विधान सभा क्षेत्र इकाइयों के चुने गये प्रतिनिधि, एवं

   (ii) मंडल परिषद के अधीनस्थ जिला इकाइयों से मंडल परिषद के लिए चुने गये प्रतिनिधि तथा इन इकाइयों के अध्यक्ष,एवं

   (iii) संबंधित मंडल परिषद के अन्तर्गत स्वायत संस्थाओं में निकाय के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 10 प्रतिशत सदस्य, एवं

   (iv) मंडल परिषद के अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले मंडल परिषदों के भूतपूर्व अध्यक्ष जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो तथा जो वर्तमान में निकाय के क्रियाशील सदस्य हों, एवं

(v) मंडल परिषद के अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले निकाय के समस्त विधायक व सांसद, परन्तु ये कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकते, एवं

(vi) मंडल के नगर निगम, नगर पालिका एवं जिला पंचायत में निकाय के नेता, एवं

(vii) सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के मंडल स्तरीय पदाधिकारी, एवं

(viii) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 10 सदस्य।

2. मंडल परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

3. मंडल परिषद के सदस्य के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे

(i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

(ii) जिला कार्यकारिणी के लिये 26 सदस्य ।

(iii) 5 सदस्य संबंधित राज्य परिषद के लिए।

(iv) 1 सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए।

## (ख) मंडल कार्यकारिणी :–

1. मंडल कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या 31 होगी। जिनमें से अध्यक्ष के अतिरिक्त 26 सदस्यों का चुनाव निर्धारित नियमों के अनुसार जिला परिषद के सदस्य करेंगे।

2. मंडल कार्यकारिणी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहने वाले किन्ही 4 व्यक्तियों को नियमानुसार मनोनीत कर सकता है।

3. मंडल परिषद का अध्यक्ष कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 4 |
| 2 | मुख्यसचिव | 2 |
| 3 | सचिव | 4 |
| 4 | उपसचिव | 12 |
| 5 | कोषाध्यक्ष | 1 |

4. मंडल कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी प्रदेश अध्यक्ष की पूर्वानुमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जो बैठकों में तो भाग लेगा किन्तु यह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

5. मंडल अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कमेटियों, समिति व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य करेगा।

6. मंडल अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

## धारा–12, राज्य इकाई

### (क) राज्य परिषद

1. राज्य परिषद के निम्न सदस्य होंगे :–

   (i) अधीनस्थ विधान सभा परिषदों व जिला परिषदों व मंडल परिषदों द्वारा राज्य परिषद हेतु चुने गये प्रतिनिधि, एवं

   (ii) अधीनस्थ विधान सभा इकाइयों व जिला इकाइयों के अध्यक्ष, एवं

   (iii) प्रदेश में निवास करने वाले निकाय के सभी विधायक व सांसद, एवं

   (iv) राज्य परिषदों के पूर्व अध्यक्ष यदि वे वर्तमान में निकाय के क्रियाशील सदस्य हों, एवं

   (v) राज्य स्तरीय मोर्चो व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, एवं

   (vi) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम 20 सदस्य।

2. राज्य परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

3. राज्य परिषद के सदस्य अपने चुनाव के बाद अपने में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे

   (i) अध्यक्ष जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।

   (ii) राज्य कार्यकारिणी के लिये 45 सदस्य ।

   (iii) राष्ट्रीय परिषद के लिए बड़े राज्यों में से अधिकतम 50 **(पचास)** सदस्य तथा

छोटे राज्यों में से अधिकतम 10 (दस) सदस्य।

(इसका निर्धारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी तथा यह सीमा राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।)

## (ख) राज्य कार्यकारिणी :–

1. राज्य कार्यकारिणी में 51 सदस्य होंगे जिनमें से अध्यक्ष व 45 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य परिषद करेगी तथा 5 सदस्यों का मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा।

   (जो किसी भी दशा में कुल चुने गये सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।)

2. राज्य का अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 6 |
| 2 | मुख्य महासचिव | 1 |
| 3 | महासचिव | 4 |
| 4 | सचिव | 8 |
| 5 | उपसचिव | 16 |
| 6 | कोषाध्यक्ष | 1 |

3. राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकेगा। जो बैठकों में तो भाग लेगा किन्तु यह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

4. राज्य इकाई का अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कमेटियों, समिति व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार अवश्य करेगा।

5. राज्य इकाई का अध्यक्ष प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा।

## (ग) राज्य इकाईयों का क्षेत्र

1. भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरुप निकाय की राज्य इकाइयों का गठन होगा।

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रशासनिक सुविधा के लिए संबंधित राज्य इकाई की सहमति से किसी भी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र के भाग को दूसरी राज्य शाखा को स्थानांतरित कर सकती है।

3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी महानगरों में विशेष क्षेत्रीय स्तर की परिषद के गठन की स्वीकृति दे सकती है। जो निकाय की संबंधित राज्य की इकाई के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत होगी।

4. राज्य इकाई का मुख्यालय संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में रखा जाएगा, लेकिन राज्य परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृति लेकर राज्य इकाई का मुख्यालय बदल सकती है।

## धारा–13, राष्ट्रीय इकाई

### (क) राष्ट्रीय परिषद

1. राष्ट्रीय परिषद के निम्न सदस्य होंगे :–

(i) जिला व मंडल परिषदों द्वारा नियमानुसार निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं

(ii) सभी राज्य परिषदों के अध्यक्ष तथा राज्य परिषदों द्वारा नियमानुसार निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं

(iii) निकाय के सभी सांसद, एवं

(iv) निकाय के सभी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसदीय दल के नेता जो वर्तमान में निकाय के क्रियाशील सदस्य हों, एवं

(v) सभी प्रदेशों के वर्तमान/भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों में निकाय के नेता जो वर्तमान में निकाय के क्रियाशील सदस्य हो, एवं

(vi) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, एवं

(vii) संबंधित मोर्चे व प्रकोष्ठों में निकाय के अखिल भारतीय अध्यक्ष, एवं

(viii) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव के बाद मनोनीत अधिकतम 50 सदस्य,

*नोट– यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।*

2. राष्ट्रीय परिषद को इस संविधान के अनुरुप निकाय के मामलों में नियमन हेतु

कदम उठाने का अधिकार होगा और सभी अधीनस्थ इकाइयों को उसके आदेशों का पालन करना होगा।

3. राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को नियमानुसार आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष तथा 60 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष ही राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्ष होगा।

## (ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी निकाय की सर्वोच्च संस्था होगी, तथा यह राष्ट्रीय परिषद व राष्ट्रीय मुख्य सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 71 सदस्य होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष तथा 60 सदस्य नियमानुसार परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. अपने निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

*नोट– यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।*

4. अपने चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उपाध्यक्ष | 6 |
| 2 | मुख्य महासचिव | 2 |
| 3 | महासचिव | 8 |
| 4 | सचिव | 12 |
| 5 | उपसचिव | 24 |
| 6 | कोषाध्यक्ष | 1 |

5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी भी बैठक के लिए कोरम ;गणपूर्ति) 21 होगी।
6. संसद में निकाय का नेता कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होगा।
7. <u>राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार व कार्य</u> :–

(i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय मुख्य सभा के बाद निकाय की सबसे बड़ी, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी होगी तथा उसे खुले अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।

(ii) इस संविधान की धाराओं की व्याख्या करने और प्रयोग संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय मुख्य सभा के निणयों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्वीकृत करेगी।

(iii) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा। विशेष परिस्थितयों में राष्ट्रीय मुख्य सभा इन निर्णयों पर विचार कर सकती है ।

(iv) राष्ट्रीय कार्यकारिणी निकाय के खातों व हिसाब–किताब की जांच/अंकेक्षण करने के लिये प्रमाणित अंकेक्षक/अंकेक्षकों की नियुक्ति करेगी।

(v) निकाय की सम्पत्तियों की देख–रेख व व्यवस्था के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियुक्ति करेगी।

(vi) किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को निकाय के हित में यथोचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा, किन्तु यदि कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है जो संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों से बाहर है तो उसे पुष्टि के लिए यथाशीघ्र राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखना होगा।

## (ग) राष्ट्रीय मुख्य सभा

1. राष्ट्रीय मुख्य सभा निकाय की सर्वोच्च संस्था होगी ।
2. राष्ट्रीय मुख्य सभा में 11 सदस्य होंगे जिनमें से

- राष्ट्रीय अध्यक्ष
- ससदं मे निकाय का नेता (यदि कोई हो )
- राष्ट्रीय मुख्य महासचिव
- राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
- 5 सदस्य नियमानुसार परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।

बाकी सदस्यो का नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगें ।

3. <u>राष्ट्रीय मुख्य सभा के अधिकार व कार्य</u> :–

(i) राष्ट्रीय मुख्य सभा निकाय की सबसे बड़ी, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी होगी तथा उसे खुले अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।

(ii) इस संविधान की धाराओं की व्याख्या करने और प्रयोग संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय मुख्य सभा का अधिकार निर्णायक होगा।

(iii) संगठन को सुचारु रुप से चलाने के लिए नियम बनाना, ऐसे नियम जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, शीघ्रातिशीघ्र निकाय की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखें जायेंगे।

(iv) निकाय की समस्त इकाइयों को संविधान सम्मत आदेश देना।

(v) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय मुख्य सभा केवल विशेष परिस्थितयों में अपना अन्तिम निर्णय देगी।

(vi) सदस्यता संबंधी धारा–17 व मतदाता तथा उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी धारा–19 के उपबंधों को विशेष मामलों में स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रीय मुख्य सभा को होगा।

(vii) राष्ट्रीय मुख्य सभा, निकाय के खातों व हिसाब–किताब रखेगी व उसकी जांच/अंकेक्षण करायेगी।

## धारा–14, खुला अधिवेशन

1. निकाय का खुला अधिवेशन सामान्यतः दो वर्ष में एक बार होगा।

2. खुले अधिवेशन के समय व स्थान का निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।

3. इसमें राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषदों के सभी सदस्य प्रतिनिधि के रुप में भाग लेंगे।

4. अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात अधिवेशन ऐसे

सारगर्भित प्रस्तावों पर विचार करेगा, जो ऊपर लिखित प्रस्तावों के प्रारुप में सम्मिलित नहीं है परन्तु जिसके लिए उस दिन बैठक आरम्भ होने से पूर्व कम से कम 50 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में प्रस्तुत करने की अनुमति आवेदन पत्र देकर मांगी हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जिस पर विषय निर्धारण समिति की बैठक से पहले बहस न हो चुकी हो, और जिसे उस समय उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो।

5. जिस राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में अधिवेशन होगा वह स्वागत समिति के रुप में अधिवेशन की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी और इस कार्य के लिए उसे अन्य व्यक्तियों को भी स्वागत समिति का सदस्य बनाने का अधिकार होगा।

6. स्वागत समिति अधिवेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिसमें धन–संग्रह और उसका लेखा–जोखा रखना भी सम्मिलित होगा।

7. अधिवेशन के पश्चात 6 महीने के अन्दर इस लेखे–जोखे का आडिट राष्ट्रीय परिषद/राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटरों के एक दल से कराया जायेगा।

8. स्वागत समिति के पास जो धन राशि बची रहेगी उसमें से आधी राष्ट्रीय परिषद के कोष को दी जायेगी तथा आधी उसी राज्य परिषद के कोष में जमा होगी।

## धारा–15, विषय निर्धारण समिति

1. अधिवेशन से पूर्व राष्ट्रीय परिषद की बैठक विषय निर्धारण समिति के रुप में होगी जिसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष करेंगे।

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति विषय निर्धारण समिति के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी जिसमें खुले अधिवेशन के मसविदे सम्मिलित होंगे।

3. राज्य परिषदों अथवा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के द्वारा जिन प्रस्तावों के बारे में उचित सूचना पूर्व में की जा चुकी होगी, उन पर यथा संभव सोच–विचार करने के लिए तीन घंटे का समय दिया जायेगा।

4. इस प्रकार विषय निर्धारण समिति बहुमत/सर्वसम्मति से विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले जिन विषयों का अन्तिम रुप से निर्धारण करेंगी, वे विषय ही राष्ट्रीय अधिवेशन के खुले अधिवेशन में रखें जायेंगे।

## धारा–16, विशेष अधिवेशन

1. निकाय का विशेष अधिवेशन तब होगा जबकि आधे से अधिक राज्य परिषदें सारगर्भित प्रश्नों पर चर्चा की मांग प्रस्ताव द्वारा करें या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निश्चित करे।

2. खुले अधिवेशन के प्रतिनिधि ही विशेष अधिवेशन के भी प्रतिनिधि होंगे।

3. विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उसी राज्य परिषद द्वारा की जायेगी जिसे अधिवेशन का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा।

## धारा–17, कार्यकाल

निकाय की समस्त परिषदों समस्त कार्यकारिणियों तथा समस्त पदाधिकारियों (अध्यक्ष सहित) का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा।

## धारा–18, सदस्यता

### (क) पात्रता

1. कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, तथा

2. भारतीय संविधान में आस्था रखता हो, तथा विश्व बन्धुत्व में विश्वास रखता हो, तथा

3. निकाय के संविधान की धारा 3 को स्वीकार करता है। तथा संविधान में आस्था रखता हो, तथा

4. किसी अन्य राजनैतिक व साम्प्रदायिक दल/संगठन का सदस्य न हो, जिसकी पृथक सदस्यता पृथक कार्यक्रम या संविधान हो, तथा

5. किसी भी ऐसे फ्रंट, आर्गेनाईजेशन में काम नहीं करता हो जो निकाय के द्वारा शुरु किए गये काम के मुकाबले में काम करता हो।

### (ख) प्राथमिक सदस्यता :–

1. उपरोक्त उपधारा 'क' के अनुसार पात्रता का व्यक्ति **फार्म क** में लिखित घोषणा करने तथा नियमों में निर्धारित शुल्क जमा करने पर निकाय का प्रारम्भिक सदस्य बन सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति स्थायी निवास स्थान पर या जहां वह काम करता हो निकाय का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा।

## (ग) क्रियाशील सदस्यता :–

1. कोई भी व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरा करने पर क्रियाशील सदस्य बन सकता है।

(i) एक वर्ष में 20 प्रारम्भिक सदस्य भर्ती करने पर, तथा

(ii) फार्म ख के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर, तथा

(iii) दो वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित योजनानुसार कम से कम 30 दिन का समय निकाय के कार्य हेतु प्रदान करने, का वचन देने पर, तथा

(iv) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अल्पतम प्रशिक्षण प्राप्त करने का वचन देने पर, तथा

(v) वह निकाय द्वारा प्रकाशित कम से कम एक पत्रिका/समाचार पत्र का नियमित ग्राहक व पाठक हो या बनने का वचन दे।

2. जिला इकाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार क्रियाशील सदस्यों को परिचय पत्र जारी करेगी।

## (घ) सदस्यता का नवीनीकरण :–

1. प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि सदस्य सदस्यता के नियमों के अनुसार सदस्यता–शुल्क निकाय कोष में जमा करता रहेगा एवं अन्य प्रतिबन्धों व शर्तों को पूरा करता रहेगा।

2. सदस्यता का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क जमा करने तथा इसके लिए निर्धारित फार्म भरने पर अनुबन्ध पूर्ण हुआ मान लिया जायेगा।

## (ड.) सदस्यता की समाप्ति :–

निम्न दशाओं में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर,

2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर,

3. त्यागपत्र देने पर,

4. सदस्यता से हटाने पर,

5. निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर,

6. किसी अन्य राजनैतिक दल या संगठन का सदस्य बनने पर, जिसका अपना चार्टर/संविधान हो।

7. कोई भी ऐसा कार्य करने पर जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो।

**(च) सदस्यता का स्थानान्तरण :–**

प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों को क्षेत्र संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह सदस्य बनता है लेकिन कोई भी क्रियाशील सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कराने की प्रार्थना कर सकता है। इसके लिए राष्टीय कार्यकारिणी नियम बना सकती है व शुल्क निर्धारित कर सकती है।

**(छ) सदस्यता की छानबीन :–**

जिला परिषदों और राज्य परिषदों की कार्यकारिणीयां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती और उनके संबंध में शिकायतों को निपटाने के लिए समय समय पर व्यवस्था करेगी। लेकिन जब कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गंभीर शिकायतें मिलेंगी तो उसे ऐसी शिकायतों की जांच पड़ताल और आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

## धारा–19, सदस्यता विवरण

**(क) पंजिका :–**

जिला कार्यकारिणी अपने क्षेत्र के प्रारम्भिक व क्रियाशील सदस्यों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पृथक–पृथक रजिस्टर रखेंगी।

**(ख) सूचियां :–**

1. जिला कार्यकारिणीयां क्रियाशील और प्रारम्भिक सदस्यों की सूचियां अपने अधीनस्थ कार्यकारिणियों से तैयार कराएगी। जिसमें नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण होगा तथा इनकी जांच कर अपने यहां रखी गयी सदस्यता पंजिका में दर्ज करेंगी।

2. जिला कार्यकारिणियों द्वारा तैयार की गई सूचियों को संबंधित राज्य परिषद निर्धारित नियमों के अनुसार प्रमाणित करेंगी।

3. राज्य कार्यकारिणियां अपने क्रियाशील सदस्यों की सूचियां, राष्ट्रीय परिषद के केन्द्रीय कार्यालय को भेजेगी। तथा वे उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करेंगी जो इनमें समय–समय पर किये जायेंगे।इस बारे में विस्तृत नियम राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनायेगी।

## धारा–20, मतदाता एवं प्रत्याशियों की योग्यताएँ

1. प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्य जिसका नाम इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई प्रारम्भिक सदस्यों की सूची या पंजिका में दर्ज हो, प्रारम्भिक इकाई के लिए मतदान कर सकेगा।

2. प्रारम्भिक इकाई के अतिरिक्त अन्य किसी भी इकाई के लिए क्रियाशील/सक्रिय सदस्य को जिसका नाम क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में हो किसी परिषद या कार्यकारिणी की सदस्यता के चुनाव के लिए खडे होने का अधिकार होगा।

3. कोई भी पदाधिकारी लगातार तीसरे कार्यकाल में उसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता जिस पर वह पिछले दो कार्यकाल पूरे कर चुका है।

4. सदस्य अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता है। अर्थात राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में अपने राज्य से राज्य परिषद के चुनाव में अपने जिले से तथा जिला परिषद में अपने ब्लॉक से।

## धारा–21, निकाय के आन्तरिक चुनाव

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी जो कि निश्चित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं राष्ट्रीय परिषदों के सदस्यों के चुनाव की सभी व्यवस्था करेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह व्यक्ति पद पर रहते हुए तथा पद से विमुक्त होने पर आगामी चार वर्ष तक निकाय में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकेगा तथा निकाय में कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा।

2. निकाय की संबंधित इकाइयां राज्य इकाई एवं जिला इकाई के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु अपने–अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से क्रमशः राज्य एवं जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।

3. यदि उपधारा 2 में वर्णित व्यवस्थानुसार निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने में राज्य समिति/राज्य परिषद व जिला परिषद असमर्थ रहती है तो इस स्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा राज्य कार्यकारिणी जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

4. राज्य चुनाव अधिकारी राज्य में निकाय के सभी चुनावों का संचालन व प्रबन्ध करेगा व राज्य कार्यकारिणी की सलाह से सहायक निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारी जो राज्य में निकाय के चुनावों का सुचारु प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगा। वह ऐसे अन्य कार्यो का भी संचालन करेगा जो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जायेंगे।

5. राज्य चुनाव अधिकारी 2 वर्ष तक इस पद पर रहेगा लेकिन तब तक कार्य करता रहेगा जब तक की नए राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए हुए नियमों के अनुसार उसे उसके पद से नहीं हटाया जाता।

6. राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था करेगी। राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार कार्यकारिणी को होगा।

7. राज्य एवं जिला चुनाव अधिकारी उस क्षेत्र में जहां वह चुनाव अधिकारी का कार्य कर चुका है पद पर रहते हुए तथा पद से विमुक्त होने पर आगामी तीन वर्ष तक निकाय में किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकेगा तथा कोई भी पद ग्रहण नहीं करेगा।

## धारा–22, निकाय का आन्तरिक चुनाव विवाद

जिला कार्यकारिणीयां व राज्य कार्यकारिणीयां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संबंधी शिकायतों को निपटाने की व्यवस्था करेगी। निकाय की जिला कार्यकारिणीं के निर्णयों के विरुद्ध संबंधित राज्य कार्यकारिणी को तथा राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

## धारा–23, रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति

**क)** यदि कार्यकारिणी/परिषद/समिति का कार्यकाल 6 माह से अधिक है :–

1. यदि किसी भी पद के लिए कोई स्थान रिक्त होगा तो उस स्थान के लिए चुनाव/नामांकन उस पद के लिए नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।

2. नया चुनाव संबंधित परिषद/कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल तक के लिए ही होगा।

**ख)** यदि कार्यकारिणी परिषद/समिति का कार्यकाल छःमाह से कम है तो :–
उस पद (अध्यक्ष पद छोड़ कर) के लिए नामांकन संबंधित इकाई का अध्यक्ष कर सकता है। अध्यक्ष का नामांकन उच्चतर इकाई की कार्यकारिणी करेगी।

## धारा–24, राष्ट्रीय अध्यक्ष

### (क) चुनाव

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में बनाए गये नियमों के अनुसार करायेगा। वह निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा।

2. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा। जिसमें संविधान की धारा 13 क)(1) में वर्णित राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तथा धारा 12(क)(1) में वर्णित राज्य/प्रदेश परिषद के सदस्य सम्मिलित होंगे।

3. निर्वाचन अधिकारी विस्तृत रुप से पारदर्शिता बनाए रखेगा तथा चुनाव के सामान्य नियमों का पालन करेगा। इस हेतु वह निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा तथा इसी कार्यक्रमानुसार चुनाव की व्यवस्था करेगा।

### (ख) प्रक्रिया

1. राष्ट्रीय परिषद में कोई भी 10 सदस्य, संयुक्त रुप से किसी भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का नाम पार्टी अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित कर सकते है।

2. ऐसे प्रस्ताव सक्षम चुनाव अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के अनुसार नियत तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

3. निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों में से अपना नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम छोड़कर शेष उम्मीदवारों की जाँच करेंगे तथा नियमानुसार ठीक पाये गये शेष उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित कर देंगे।

4. अधिकारी कार्यकारिणी द्वारा नियत तारीख (जो सामान्यतः चुनाव में खड़े

उम्मीदवार के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम से कम 7 दिन बाद ही होगी) को मतदान की व्यवस्था करेंगे, जिसमें उपरोक्त उपधारा (क)(2) में वर्णित सदस्यों को अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत देने का अधिकार होगा।

**(ग) कार्यकाल**

अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रीय परिषद चाहे तो वह कार्यकाल केवल एक बार तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

**(घ) कार्य व अधिकार :–**

1. चुनाव के बाद अध्यक्ष निकाय के समस्त अधिवेशनों व राष्ट्रीय स्तर की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

2. जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन नहीं हो रहा होगा तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त अधिकारों का प्रयोग नियमानुसार करेगा तथा ऐसे कार्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आगामी अधिवेशन में पारित करायेगा।

3. राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह विशेष परिस्थिति में या उस अवधि में जिसमें वह कार्य करने में असमर्थ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से किसी एक को (उस अवधि के लिए, जिसमें वह कार्य करने में असमर्थ है) कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

**(ड) रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति :–**

1. किसी संकटकालीन परिस्थिति उदाहरणार्थ अध्यक्ष की मृत्यु या पद त्याग के कारण हुए रिक्त स्थान पर भी चुनाव नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।

2. इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तुरन्त तारीख निश्चित करेगी जो किसी भी दशा में छः माह से अधिक नहीं होगी।

3. नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेगी।

## धारा–25, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी निकाय की संसद में गतिविधियों, विधान सभाओं की गतिविधियों के नियत्रण तथा समन्वय के लिए संसदीय बोर्ड का गठन करेगी।

संसदीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होंगे। इन्हीं में एक अध्यक्ष होगा सदस्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एक महासचिव तथा संसद में निकाय का नेता सम्मिलित होंगे। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष आगामी तीन वर्ष तक निकाय में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेगा।

2. महासचिव ससंदीय बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।

3. संसद, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के लिए केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ही प्रत्याशियों का अन्तिम चयन करेगा।

4. संसदीय बोर्ड के सभी निर्णय सामूहिक रुप से लिए जाएगें। तथा मत भिन्नता की स्थिति में बहुमत के निर्णय ही समस्त सदस्यों को मान्य होंगे।

## धारा–26, प्रदेश संसदीय बोर्ड

1. प्रदेश कार्यकारिणी नियमानुसार प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन करेगी।

2. प्रदेश संसदीय बोर्ड के अधिकतम सदस्य संख्या 15 होगी। जिनमें एक सभापति होगा।

3. यह बोर्ड प्रदेश से संसदीय तथा विधान मण्डलों के लिए प्रत्याशियों के 4–4 नामों का पैनल बनाकर केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को प्रस्तावित करेगा।

4. प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी समितियों तथा अन्य स्थानों के लिए प्रत्याशियों का चयन करेगा।

5. प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राज्य में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेंगे। राज्य परिषद के अध्यक्ष व प्रदेश विधान मण्डल के नेता तथा राज्य में निकाय का एक महासचिव, इस बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। महासचिव, की नियुक्ति प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। जो बोर्ड का सदस्य सचिव होगा ।

## धारा–27, चुनाव घोषणा पत्र समिति

1. संसदीय चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित करेगी जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी ।

2. विधान मण्डल के चुनावों से पूर्व संबंधित राज्य की प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की समिति का गठन राज्य स्तर पर करेंगी जो राज्य चुनाव घोषणा–पत्र तैयार करेगी ।

## धारा–28, मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं संगठन

महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं ऐसे अन्य मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं संगठन जिनका गठन करना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दृष्टि में आवश्यक हो उनका गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

## धारा–29, अनुशासनिक कार्यवाही समितियां

क) अनुशासन भंग करने के प्रकरणों को निपटाने के लिए राष्ट्र स्तर,राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अनुशासन समितियों का गठन किया जायेगा। गठन निम्न प्रकार से होगा :–

1. राष्ट्र स्तर पर ऐसी समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेंगी।
2. राज्य स्तर पर ऐसी समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेंगी।
3. जिला स्तर पर ऐसी समिति का गठन जिला कार्यकारिणी करेंगी।

**(ख) अपील :–**

1. जिला समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य समिति को तथा राज्य समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय समिति को की जायेगी।
2. राष्ट्रीय अनुशासन समिति की कार्यवाही को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्तुत किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।

## धारा–30, चन्दे से प्राप्त धन/सदस्यता शुल्क का वितरण

सदस्यता शुल्क व चन्दे से प्राप्त धन को निकाय के विभिन्न अंगो में नियमानुसार वितरित किया जायेगा।

## धारा–31, निकाय का बैंक खाता

निकाय की राष्ट्रीय इकाई का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय बैंक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा खोला जायेगा तथा खाते के परिचालन हेतु उपरोक्त में से किन्ही दो के हस्ताक्षर मान्य होंगे। अन्य इकाइयों के खाते भी स्तरीय पदाधिकारियों के

हस्ताक्षरों द्वारा खोले जायेंगे व उनका परिचालन भी किन्ही दो स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा मान्य होगा।

## धारा–32, पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

निकाय की विभिन्न इकाइयों में निकाय के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैः–

**(क) अध्यक्ष :–**

1. नियमानुसार स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. कार्यकारिणी के नियमानुसार एवं सविधान द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन व अनुसरण तथा निर्देशन करना।
3. स्तरीय परिषदों तथा कार्यकारिणियों के लिए सदस्यों का नामांकन करना ।

**ख) उपाध्यक्ष :–**

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहायक का कार्य करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वाहन करेंगे।

**(ग) महासचिव :–**

महासचिव इस संविधान व निकाय के नियमों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तथा महासचिव का कार्य अध्यक्ष/ कार्यकारिणी द्वारा निर्देशित कार्यों को करना है। स्तरीय बैठकों की व्यवस्था करना व उनकी कार्यवाही रखना तथा स्तरीय कार्यालयों की व्यवस्था देखना तथा इस संबंध में संविधान सम्मत निर्देश देना इनका मुख्य कार्य होगा।

**(घ) सचिव।उपसचिव :–**

सचिव।उपसचिव महासचिव के सहायक के रुप में कार्य करेंगे साथ ही कार्यकारिणी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महासचिव के निर्देशानुसार भी कार्य करेंगे।

**(ड) कोषाध्यक्ष :–**

पार्टी के स्तरीय कोष का व्यवस्थापक होगा और समस्त पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का ठीक–ठीक ब्यौरा रखेगा। निकाय की उच्च इकाई को उसके निर्देशानुसार पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का विवरण भेजेगा ।

## धारा–33, विशेष प्रतिनिधित्व

निकाय के संगठन में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं, पिछडें वर्गों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों युवाओं आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमानुसार पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

## धारा–34, निकाय का विलय व विघटन

निकाय के विलय व विघटन की दशा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक समिति बनाएगी, जिसमें पार्टी के विलय या विघटन पर विचार होगा । समिति की संस्तुति प्राप्त होने राष्ट्रीय कार्यकारिणी विषेश अधिवेशन बुलायेगी जिसमे इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा यह प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित होना .चाहिए।

## धारा–35, सविधान संशोधन

इस संविधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन सिर्फ निकाय के खुले अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है। किन्तु राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संस्तुति पर राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक जो इस आशय के उचित नोटिस द्वारा बुलाई गयी हो और जिसमें उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से संविधान को (संविधानकी धारा–3 के अतिरिक्त) संशोधित या परिवर्तित या परिवर्द्धित कर सकती है । राष्ट्रीय परिषद द्वारा किए गए ऐसे संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन निकाय के आगामी खुले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखे जायेंगे, किन्तु पुष्टि होने से पहले भी उन्हें राष्ट्रीय परिषद द्वारा निश्चित तिथि से अमल. में लाया जा सकेगा।

# बहुजन शक्ति

## नियम :

## नियम–1, शीर्षक

ये नियम **बहुजन शक्ति** के नियम कहलायेंगे तथा निकाय के गठन की तिथि से लागू होंगे।

## नियम–2, परिभाषाएं

जब तक किसी प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में प्रमुख शब्दों के अर्थ निकाय संविधान की धारा–2 के अनुसार होंगे।

## नियम–3, प्राथमिक इकाई

**प्राथमिक कमेटी :–**

1. प्राथमिक कमेटी की स्थापना संविधान की धारा 6 क)1) में वर्णित क्षेत्रों में की जायेगी।
2. प्राथमिक कमेटी के लिए क्षेत्र में भर्ती हुए सभी सदस्य इकाई के अध्यक्ष व उसके सदस्यों के चुनाव में मतदाता होंगे।
3. प्राथमिक कमेटी की अधिकतम संख्या अध्यक्ष सहित उसके क्षेत्र में बने सदस्यों के अनुसार निम्नलिखित आधार पर होगी :–

| सदस्यों की संख्या | स्थानीय कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या |
|---|---|
| 50 तक | 5 |
| 50 से 100 | 7 |
| 100 से अधिक | 11 |

## नियम–4, ब्लाक इकाई

**(का) ब्लाक परिषद :–**

1. ब्लाक परिषद के सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष में 10 रूपये वार्षिक शुल्क स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे, जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।

2. ब्लाक परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।

3. ब्लाक परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी कासंबंधित ब्लाक क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।

**(ग) ब्लाक कमेटी :–**

1. ब्लाक कमेटी के लिए नामांकन जिला कार्यकारिणी की सहमति से होगा।

2. ब्लाक कमेटी का अध्यक्ष ब्लाक कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति, विधान सभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से करेगा।

## नियम–5, तहसील इकाई

**(क) तहसील परिषद :–**

1. तहसील परिषद के सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष में 20 रूपये वार्षिक शुल्क स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे, जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।

2. तहसील परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।

3. तहसील परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी का संबंधित तहसील का निवासी होना आवश्यक है।

**(ख) तहसील समिति :–**

1. तहसील समिति के लिए मनोनयन जिला कार्यकारिणी की सहमति से होगा।

2. तहसील समिति का अध्यक्ष तहसील समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति, जिला अध्यक्ष की पूर्वानुमति से करेगा।

## नियम–6, विधान सभा क्षेत्र इकाई

### (क) विधान सभा क्षेत्र परिषद :–

1. विधान सभा क्षेत्र परिषद के सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष में 25 रूपये वार्षिक शुल्क स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे, जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।

2. विधान सभा क्षेत्र परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।

3. विधान सभा क्षेत्र परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी का संबंधित विधान सभा क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।

### (ख) विधान सभा क्षेत्र समिति :–

1. विधान सभा क्षेत्र समिति के लिए मनोनयन जिला कार्यकारिणी की सहमति से होगा।

2. विधान सभा क्षेत्र समिति का अध्यक्ष तहसील समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति, मंडल अध्यक्ष की पूर्वानुमति से करेगा।

## नियम–7, जिला इकाई

### (क) जिला परिषद :–

1. जिला परिषद के सदस्य प्रत्येक वर्ष रु0 50 शुल्क के रुप में स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे, जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।

2. जिला परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।

3. जिला परिषद में मनोनयन राज्य अध्यक्ष की सहमति से होगा।

4. जिला परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी का संबंधित जिले का निवासी होना आवश्यक है।

5. जिला परिषद के चुनाव के लिए किसी अधीनस्थ परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

**(ख) जिला कार्यकारिणी :–**

1. जिला कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष द्वारा मनोनयन मण्डल कार्यकारिणी की सहमति से होगा।
2. जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही होगी।
4. जिला इकाई के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र के क्रियाशील सदस्यों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और उनके कार्यों के सर्वेक्षण के लिए प्रति 3 माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना आवश्यक है।

## नियम–8, मंडल इकाई

**(क) मंडल परिषद :–**

1. मंडल परिषद के सदस्य प्रत्येक वर्ष रु0 100 शुल्क के रुप में स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे, जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।
2. मंडल परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है।
3. मंडल परिषद में मनोनयन राज्य अध्यक्ष की सहमति से होगा।
4. मंडल परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी का संबंधित मंडल का निवासी होना आवश्यक है।
5. मंडल परिषद के चुनाव के लिए किसी अधीनस्थ परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

**(ख) मंडल कार्यकारिणी :–**

1. मंडल कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष द्वारा मनोनयन राज्य कार्यकारिणी की सहमति से होगा।
2. मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही होगी।
4. मंडल इकाई के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र के क्रियाशील सदस्यों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और उनके कार्यों के सर्वेक्षण के लिए प्रति 3 माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना आवश्यक है।

## नियम–9, राज्य इकाई

### (क) राज्य परिषद :–

1. राज्य परिषद के सदस्य प्रत्येक वर्ष रु 150 शुल्क के रुप में स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जाएगा।
2. राज्य परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है।
3. राज्य परिषद में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से होगा।
4. राज्य परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी को संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
5. राज्य परिषद के लिए प्रत्याशी का किसी अधीनस्थ परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

### (ख) राज्य कार्यकारिणी :–

1. राज्य कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष द्वारा मनोनयन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से होगा।
2. राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्वानुमति से ही होगी।
3. राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है।
4. राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष मण्डल व जिला इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित करेंगे।

## नियम–10, राष्ट्रीय इकाई

### (क) राष्ट्रीय परिषद :–

1. राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रत्येक वर्ष रु0 200 शुल्क के रुप में स्थानीय निकाय कोष में जमा करेंगे। जिसका विधिवत लेखा–जोखा रखा जायेगा।
2. राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक **बार होना** आवश्यक है।
3. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी की सदस्यता उस राज्य से होनी चाहिए जिससे वह प्रत्याशी होना चाहता है।

5. राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रत्याशी का किसी अधीनस्थ परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

**(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी :–**

1. (i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए।

   (ii) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस होना आवश्यक है। अति आवश्यक या केवल विशेष परिस्थितियों में ही यह समय 7 दिन हो सकता है। इस दशा में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सदस्यों को सूचना मिल गयी है।

2. राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणीयों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन करेंगे।

**(ग) राष्ट्रीय मुख्य सभा :–**

1. (i) राष्ट्रीय मुख्य सभा की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुख्य सभा निकाय की रोजमर्रा की कार्यवाहीयों की समीक्षा करेगी।

## नियम–11, सदस्यता

निकाय की सदस्यता दो प्रकार की होगी।

**(क) प्राथमिक सदस्यता :–**

1. प्राथमिक सदस्यता शुल्क 5 रुपये वार्षिक है।

2. प्रथम सदस्यता ग्रहण करने पर दो वर्ष का शुल्क जमा करना होगा, तथा सदस्यता का नवीनिकरण भी द्विवार्षिक आधार पर होगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो संविधान की धारा 18 (क) की पात्रता को पूरी करता हो, धारा 18(ख) की शर्तों को पूरी करने पर प्राथमिक सदस्य बन सकता है।

15. भूमि सेना व अन्य रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाओं में काम करना।

16. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेना।

17. जातिगत और साम्प्रदायिक शांति के लिए काम करना।

18. महिला कल्याण के कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से हिस्सा लेना।

19. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकास में योगदान करना।

20. अपने द्वारा बनाए गए सदस्यों का विवरण तैयार कर जिला कार्यकारिणी को प्रेषित करना।

21. समय–समय पर राष्ट्रीय/राज्य/जिला कार्यकारिणियों द्वारा जारी किये निर्देशों का पालन करना तथा आवश्यकता होने पर सूचनाएं नियत काल में प्रेषित करना।

**(ग) भर्ती :–**

1. कोई भी इकाई या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उस समय भर्ती नहीं करेगा जब तक उसने प्रारम्भिक सदस्यता का पूर्ण शुल्क अदा न कर दिया हो और संविधान की धारा 18(क) की शर्तों को पूरा न करता हो।

2. क्रियाशील सदस्यता के लिए संविधान की धारा 18(ग) की शर्तों को पूरा करना तथा नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

**(द) सदस्यता का स्थानान्तरण :–**

1. प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती का क्षेत्र संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह निवास करता है।

2. क्रियाशील सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है।

## नियम–12, सदस्यता फार्म

**(क) सदस्यता फार्मों का प्रकाशन :–**

1. पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय और राज्य शाखा (केन्द्रीय कार्यालय के लिखित निर्देशानुसार) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता–फार्म छपवायेंगे। जिला इकाइयां भी संबधित राज्य इकाई की लिखित पूर्व स्वीकृति और राज्य इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ये फार्म छपवा सकती है।

2. सदस्यता–फार्मों पर क्रमानुसार नम्बर अंकित किये जायेंगे और उन पर अखिल भारतीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर/सील अंकित होंगे।

3. प्रारम्भिक सदस्यता–फार्म बहियों के रुप में जारी किये जायेंगे हर बही में 20 फार्म होंगे। क्रियाशील सदस्यता–फार्म की बही में 10 फार्म होंगे।

**(ख) वितरण :–**

1. जिले में सदस्यों की भर्ती के लिए मुख्यतः जिला इकाई उत्तरदायी होंगी। निकाय की राज्य शाखा, जिला इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करेगी, जिला इकाइयां अपनी अधीनस्थ इकाइयों को ये फार्म जारी करेंगी और इन इकाइयों के जरिए विभिन्न व्यक्तियों को फार्म जारी किये जायेंगे। किसी भी व्यक्ति को एक साथ 100 से अधिक प्रारम्भिक फार्म और 50 से अधिक क्रियाशील सदस्यता फार्म जारी नहीं किये जायेंगे। सदस्यता फार्म पुनः केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने पहले दिये गये फार्मों का हिसाब और उन फार्मों से प्राप्त शुल्क जमा करा दिया होगा। ऐसी जिला इकाई जिसे सदस्यता फार्म छापने की अनुमति दी गयी है, अपनी अधीनस्थ कमेटियों को सदस्यता फार्म जारी करेंगी और साथ ही निकाय की संबधित राज्य शाखा को इसकी विस्तृत सूचना प्रेषित करेंगी।

2. यदि अधीनस्थ कमेटियों के विरुद्ध सदस्यता फार्म उपलब्ध न किये जाने की शिकायत है तो जिला इकाई सीधे फार्म जारी कर सकती है। यदि इस प्रकार की भी शिकायतें हो कि कोई राज्य इकाई उचित रुप से फार्म वितरीत नहीं कर रहीं हो तो, निकाय का केन्द्रीय कार्यालय निकाय के किसी भी व्यक्ति और कमेटियों को सीधे फार्म जारी करेगा।

3. किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय की इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करते समय विधिवत रसीद लेनी होगी और उनसे लिखित रुप में यह भी वचन लेना होगा कि वे पूरे हिसाब के साथ प्रयोग न किये हुए फार्मों को निर्धारित तिथि तक वापिस लौटा देंगे और भर्ती किये गए सदस्यों का पूरा शुल्क भी जमा कर देंगे।

4. सदस्यता फार्म निम्नलिखित लोगों को जारी किये जायेंगे :–

   (i) राष्ट्रीय कार्यकारिणी/परिषद के सभी सदस्यों को।

   (ii) सभी सांसदों ( निकाय सदस्यों ) को।

   (iii) सभी कार्यकारिणि।परिषद सदस्यों को।

   (iv) राज्य विधान मण्डलों, महानगर परिषदों नगर निगमों के सभी निकाय सदस्यों और जिला व तहसील अथवा प्रखण्ड स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के निकाय सदस्यों को।

(v) निकाय की जिला इकाइयों के सभी सदस्यों को।

(vi) प्रखण्ड या चुनाव क्षेत्र इकाइयों के सभी सदस्यों और अन्य क्रियाशील सदस्यों को।

(vii) निकाय के सभी अधिकृत उम्मीदवारों का जिन्होंने संसद, विधान सभा व विधान परिषद का चुनाव अथवा उपचुनाव लड़ा हो, लेकिन पराजित हुआ हो।

5. व्यक्ति या कमेटियों द्वारा इस्तेमाल न किये गये फार्म लौटाए जाने की स्थिति में प्राप्तकर्ता को प्राप्ति की स्व–हस्ताक्षरित रसीद जारी करनी होगी।

6. सदस्यता फार्म निकाय की सम्पत्ति होंगे । तथा यदि कोई व्यक्ति अपने लिए गये फार्मों व एकत्रित धन का हिसाब नहीं देता है तो :–

(क) उसे संगठन के किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य माना जायेगा।

(ख) उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) अन्य कोई दण्ड जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्धारित करें।

7. एक जिले के लिए जारी किये गये सदस्यता फार्म संबंधित राज्य इकाई की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी दूसरे जिले में प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे

**(ग) विवरण :–**

1. निकाय की राज्य शाखाएं प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती के फार्म जारी करने के लिए अलग–अलग रजिस्टर रखेंगी। जिनमें प्रत्येक शाखा या व्यक्ति को जारी किये गये फार्मों को क्रमानुसार संख्या तथा उन्हें जारी किये जाने की तारीख दर्ज होगी तथा उसमें सदस्य के हस्ताक्षर लिए जायेंगे व लौटाए जाने की स्थिति में लौटाने की तारीख व फार्मों के नम्बर व संख्या दर्ज होगी।

2. निकाय की जिला इकाई और अधीनस्थ कमेटियों को भी ऐसे रजिस्टर रखने होंगे।

**(घ) सूचियों व पंजिकाओं में परिवर्तन :–**

1. जिला कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी के निर्णय/अनुशासात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरुप यदि प्रारम्भिक तथा क्रियाशील सदस्यों व सूचियों और रजिस्टरों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित इकाई के अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर के साथ लाल स्याही से इस प्रकार का परिवर्तन अंकित किया जायेगा।

2. यदि जिला इकाई अथवा अधीनस्थ कमेटी जांच करने के पश्चात यह सिद्ध कर दे कि किसी सदस्य ने क्रियाशील सदस्यता के लिए संविधान की धारा 18 (ग) में उल्लिखित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। तो निकाय की राज्य कार्यकारिणी क्रियाशील सदस्यों की सूची से उस सदस्य का नाम हटा सकती है।

## नियम–13, सदस्यता विवरण

### (क) सूचियां :–

1. प्रत्येक जिला कार्यकारिणी तथा अधीनस्थ कमेटी जो निकाय की राज्य कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत होगी, अपने सदस्यों की सूचियां रखेंगी। इन सूचियों में सदस्यों के बारे मे निम्नलिखित अंकित होगा :–

    1. क्रम संख्या
    2. नाम
    3. पिता/पति/माता का नाम
    4. आयु
    5. कारोबार का स्थान/पता
    6. स्थायी पता
    7. वर्तमान पता
    8. पेशा
    9. भर्ती होने की तारीख
    10. भर्ती के फार्म की क्रम संख्या
    11. टिप्पणियां

### (ख) पंजिका :–

निकाय की राज्य और जिला कार्यकारिणीयां प्रारम्भिक व क्रियाशील सदस्यों की स्थायी पंजिकाएं रखेंगी। इन पंजिकाओं में सदस्यों के बारे में निम्नलिखित विवरण अंकित होगा।

1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पिता/पति/माता का नाम
4. आयु
5. कारोबार का स्थान/पता

6. स्थायी पता
7. वर्तमान पता
8. व्यवसाय/पेशा
9. क्रियाशील सदस्य के रुप में भर्ती होने की तारीख
10. अधीनस्थ कमेटी, जिसका आवेदक सदस्य है।
11. प्रारम्भिक सदस्य के रुप में भर्ती होने की तारीख।
12. प्रारम्भिक सदस्यों की पंजिका में क्रम संख्या।
13. सदस्यता नवीनीकरण के शुल्क की अदायगी की तारीख।
14. क्रियाशील सदस्य के रुप में सदस्य की गतिविधियां ।
15. टप्पणियां

**(ग) सूचियों का प्रकाशन :–**

1. प्रत्येक वर्ष 31 मई से पूर्व या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किये गये समय पर जिला इकाई पिछली अवधि में भर्ती किये गये या नवीनीकरण कराये गये प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की प्रथम सूची प्रकाशित करेगी। छानबीन के पश्चात् संशोधित व अन्तिम सूची प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त तक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित की गई तारीख तक प्रकाशित की जायेंगी।

2. इस प्रकार प्रकाशित अंतिम सूची, आगामी सूची के प्रकाशित होने तक अमल में लायी जायेगी।

## नियम–14, सदस्यता की छानबीन

1. कोई भी व्यक्ति जिसे निकाय संविधान की धारा 19 (ग) के अन्तर्गत क्रियाशील सदस्य के रुप में स्वीकार न किया गया हो अथवा जिसका नाम निकाल दिया गया हो या प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में गलत दर्ज किया गया हो अथवा कोई सदस्य जिसे किसी के नाम दर्ज करने/होने में आपत्ति हो तो वह संबंधित जिला इकाई के अध्यक्ष के सम्मुख सदस्यता सूची के प्रकाशन के 15 दिन के अंदर निश्चित रुप से कारण देते हुए नाम दर्ज करने या न करने के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

2. जिला कार्यकारिणी आपत्ति करने वाले या अन्य संबंधित पक्ष/पक्षों की बात सुनने व जांच करने के पश्चात किसी नाम को दर्ज करने, ठीक करने या प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजीका से निकाल दने के संबंध में निर्देश दे सकती है। जिला कार्यकारिणी सामान्य रुप से ऐसी आपत्तियों का निपटारा आपत्ति प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कर देगी।

3. जिला कार्यकारिणी को किसी भी प्रारंभिक और क्रियाशील सदस्य के सदस्यता फार्म की छानबीन करने, जांच करने और सदस्य बनाने में निकाय संविधान के प्रावधानों और नियमों का पालन हुआ या नहीं, के परीक्षण एवं निर्णय का संपूर्ण अधिकार होगा। क्रियाशील सदस्यों द्वारा भेजी गई नियत–कालिक आख्याओं की छानबीन भी कार्यकारिणी कर सकती है। और वह संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात अपना निर्णय देगी।

4. जिला कार्यकारिणी अपनी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण रखेगी तथा सभी संबंधित पक्षों के निर्णय की प्रतिलिपि निर्णय देने के तीन दिन के अंदर भेज देगी।

5. यदि तत्समय विधिवत निर्वाचित जिला इकाई कार्य नहीं कर रही हो और उसके स्थान पर तदर्थ समिति काम कर रही हो तो सभी आपत्तियां तदर्थ समिति के अध्यक्ष या संयोजक, जो भी हो, के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

6. जिला कार्यकारिणी के निर्णय के विरुद्ध दस दिन के अंदर प्रभावित पक्ष द्वारा राज्य कार्यकारिणी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की जा सकती है। राज्य कार्यकारिणी प्राप्त अपीलों का निस्तारण अपील प्राप्ति के 30 दिन के अंदर कर देगी। जिला कार्यकारिणी के निर्णय तभी प्रभावी होंगे ज़ब या तो उसके विरुद्ध अपील करने की अवधि बीत गई हो या की गई अपील पर निर्णय दे दिया गया हो।

7. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी तथा जिला कार्यकारिणी को इन नियमों के अधीन अपने अधिकारों को एक या अधिक सदस्यों की उपसमितियों को सौपने का अधिकार होगा।

8. प्रभावित पक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपनी अपील राज्य कार्यकारिणी के निर्णय लेने के 15 दिन के अन्दर कर सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अत्यधिक गंभीर प्रकरणों से संबंधित अपीलों पर ही विचार करेगी और उसके निर्णय पूर्ण रुप से अंतिम होंगे।

## नियम–15, विशेष प्रतिनिधित्व

महिलाओं, पिछड़े वर्गो, अल्प संख्यकों व समस्त शोषितों को इस संविधान के अनुसार व राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार संगठन के प्रत्येक स्तर पर निकाय मे विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

# नियम–16, निकाय के आन्तरिक चुनाव

## (क) चुनाव तंत्र :–

1. प्रत्येक राज्य निर्वाचन अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य निर्वाचन अधिकारी पार्टी के सदस्य होंगे। परन्तु वे किसी भी समिति/कार्यकारिणी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। वे निकाय किसी भी चुनाव के लिए अपने पद ग्रहण की तिथि से उसे छोड़ देने के पश्चात तीन वर्ष तक किसी भी ऐसे क्षेत्र में निकाय संगठन में प्रत्याशी नहीं होंगे जिसमें वह निर्वाचन अधिकारी रहा हो।

2. राज्य तथा जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय क्रमशः राज्य तथा जिला इकाइयों के मुख्यालयों में होंगे परन्तु संबंधित राज्य कार्यकारिणी अथवा जिला कार्यकारिणी की विशेष अनुमति से या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर वे अपने कार्यालय अन्यत्र भी रख सकते है।

3. राज्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में निकाय के सभी चुनावों का संचालन करेगा वह इस प्रकार के चुनावों के कार्यक्रमों का निर्धारण राज्य कार्यकारिणी की सलाह से करेगा। निकाय के संविधान तथा उसमें उल्लिखित नियमों के अनुसार चुनावों को उचित प्रकार से संचालित करने के समुचित निर्णय लेने का अधिकार उसे प्राप्त होगा।

4. राज्य परिषद अपनी सामान्य बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से किसी निर्वाचन अधिकारी को हटा देने में सक्षम होगी। यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि उसने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से नहीं किया है परन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने से पूर्व उसे उसके ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी/केन्द्रीय निर्वाचन अधिकारी किसी भी राज्य निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य निर्वाचन अधिकारी को उसके पद से हटा सकती है, अगर उसे विश्वास हो जाय कि उसने अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं किया। परन्तु, यदि विशेष परिस्थितियां न हों तो इस प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उसे उसके ऊपर लगाए आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

6. राज्य निर्वाचन अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी निर्वाचन अधिकरी के कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन न करने की दशा में उसके पद से हटा सकता है। परन्तु ऐसा करने से पूर्व संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

7. राज्य निर्वाचन अधिकारी की देख–रेख अथवा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में निकाय चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके जिले में चुनावों के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा अन्य दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

**(ख) मतदान :–**

1. निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्र के स्थान और प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत क्षेत्र का निर्धारण तथा उनका प्रकाशन चुनाव की तारीख से दस दिन पूर्व करेगा। वह मतदान के दिन, तिथि तथा समय की विज्ञप्ति मतदान से कम से कम दस दिन पूर्व प्रकाशित करेगा।

2. मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके लिए उचित प्रकार से चुनाव कराना आवश्यक होगा।

3. नामांकन पत्र प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे, या पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जायेंगे। नामांकन पत्र निर्धारित प्रारुप में होंगे, वे छपे हुए या हस्तलिखित हो सकते है।

4. ऐसे प्रत्याशी जिनके नामांकन पत्र वैद्य ठहराये गये है और वे नाम वापस लेना चाहते है तो वे नाम वापस लेने की लिखित सूचना/प्रार्थना पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे अथवा प्रत्याशी का प्रतिनिधि व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर उसे दाखिल/प्रस्तुत करेगा, या पंजीकृत डाक से इस प्रकार प्रेषित किया जाएगा कि वह मतदान प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व पहुंच जाये। नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र प्रत्याशी के हाथ से लिखा होना आवश्यक है।

**5. मतपत्र द्वारा चुनाव की पद्धति निम्नप्रकार होगी :–**

(i) मतदान अधिकारी पर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व होगा।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित अधिकारी को प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को मतदान स्थल में प्रवेश करने तथा मतदान के निरीक्षण के लिए स्वीकृति देने का अधिकार होगा। मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व प्रत्येक के कोने में अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।

(iii) मतदान के समाप्त होने पर मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की गणना करेगा तथा इन आंकडों की आख्या निर्वाचन अधिकारी के

पास प्रेषित करेगा प्रत्याशी अथवा उसका एक प्रतिनिधि गणना के समय गणना स्थल पर उपस्थित रह सकता है।

(iv) विभिन्न मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतों की संख्या मिल जाने पर निर्वाचन अधिकारी चुनाव परिणामों की घोषणा करेगा।

नोट : प्रतिनिधि से तात्पर्य, प्रत्याशी द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत किये गये व्यक्ति से है।

6. **हाथ उठाकर मतदान किये जाने की प्रणाली निम्नप्रकार होगी :–**

(i) मतदान अधिकारी मतदान आरंभ होने के समय की अधिसूचना जारी करेगा। यदि वह आवश्यक समझे तो इस समय को आधा घंटा बढ़ा सकता है।

(ii) मतदान अधिकारी मतदाताओं की मतदान स्थल में प्रवेश करते समय छानबीन/जांच कर सकता है।

(iii) मतगणना के समय प्रत्येक प्रत्याशी के ~~एक प्रतिनिधि को मतदान अधिकारी~~ के साथ रहने की अनुमति होगी। गणना के पश्चात मतदान अधिकारी इन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर परिणाम की लिखित घोषणा पर भी ले सकता है।

नोट : प्रतिनिधि से तात्पर्य, प्रत्याशी द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत किये गये व्यक्ति से है।

7. निकाय चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेंगे और न ही अनुचित विधि से प्रचार करेंगे। इन प्राविधानों का उल्लघंन करने वाले प्रत्याशी का चुनाव अवैध हो जायेगा ओर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8. राज्य परिषद के सदस्यों की पहली बैठक राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में ही निर्वाचित सदस्य परिषद के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करेंगे।

9. इसी प्रकार मंडल/जिला परिषदों के सदस्यों की बैठकों का आयोजन, उनकी अध्यक्षता एवं इन परिषदों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन होगा। स्थानीय इकाइयों के चुनाव में भी यही प्रणाली लागू होगी।

10. जहां किसी पद या इकाई के लिए चुनाव की प्रणाली का स्पष्ट प्रावधान नियमों में नही है। वहां यदि सर्वसम्मति से चुनाव नहीं होता तो उस दशा में मतदान

मतपत्र द्वारा होगा। जहां एक से अधिक सदस्य चुने जाने है वहां मतदान इकहरी हस्तान्तरणीय पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

11. स्वायत संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रखण्ड या चुनाव क्षेत्र इकाई, जिला इकाई तथा राज्य इकाई के लिए चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। जिनमें इन स्वायत संस्थाओं के चुने हुए निकाय के सदस्य होंगे। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जायेगा। निकाय के संसद सदस्यों और विधायकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में मतदान की यहीं प्रणाली लागू **होगी।**

## नियम–17, कार्यकारिणियों के चुनाव

(क) 1. किसी भी कार्यकारिणी के चुनाव में केवल संबंधित परिषद का सदस्य ही खड़ा हो सकता है। जब तक कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस प्रतिबंध से छूट न दी गई हो।

2. नामांकन पत्र का प्रस्ताव और समर्थन संबंधित परिषद के सदस्य ही करेंगे लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सदस्य पांच से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव नहीं करेगा।

3. नामांकन पत्रों पर प्रस्तावित प्रत्याशियों की सहमति अंकित होगी।

**(ख)** 1. मतदान गुप्त होगा तथा इकहरी हस्तांतरणीय प्रणाली के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा।

2. मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के बराबर मतपत्र पर वोट अंकित कर सकता है। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि एक मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में एक से अधिक मत नही देगा।

3. यदि कोई मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक वोट मतपत्र पर अंकित करता है तो उसका मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा।

4. ये नियम राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी, मंडल परिषद, मंडल कार्यकारिणी, जिला परिषद, जिला कार्यकारिणी तथा प्रखण्ड अथवा चुनाव क्षेत्र समिति के सदस्यों के चुनावों में भी ज्यों के त्यों लागू होंगे।

5. राष्ट्र एवं राज्य शाखाओं और अधीनस्थ शाखाओं के अध्यक्षों एवं कार्यकारिणीयों के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। उनके परिणाम की घोषणा साधारण बहुमत के आधार पर की जायेगी।

# नियम–18 चुनाव संबंधी विवाद

1. राज्य शाखा के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों तथा राष्ट्रीय परिषद से संबंधित आपत्तियां चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त चुनाव विवाद समिति के सचिव के समक्ष याचिका के रुप में प्रस्तुत करनी होगी।

2. केवल संबंधित राज्य परिषद का सदस्य ही उपरोक्त उपनियम (1) में उल्लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

3. उपर्युक्त उपनियम (1) में उल्लिखित याचिकाओं के अतिरिक्त प्रत्येक चुनाव याचिका चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के अंदर संबंधित मंडल/जिला कार्यकारिणी द्वारा गठित चुनाव विवाद समिति के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। जिस जिले में तदर्थ समिति कार्यरत है वहां चुनाव विवाद समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। तथा जिस राज्य में राज्य स्तर पर तदर्थ समिति कार्यरत है उसमें चुनाव विवाद समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा किया जायेगा। जिला कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाएं केवल राज्य चुनाव विवाद समिति के सम्मुख ही प्रस्तुत की जायेगी।

4. चुनाव याचिकाएं संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास लिखित रुप से व्यक्तिगत रुप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है।

5. निकाय की किसी भी इकाई को चुनाव याचिका पर निर्णय हो जाने से पहले किसी सदस्य या पदाधिकारी को उसकी सदस्यता या पद से हटाने या स्थगन की अंतरिम आज्ञा प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी यदि आवश्यक समझे तो इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती या परिवर्तित कर सकती है।

6. जिले की चुनाव विवाद समिति को चुनाव के विरुद्ध की गई प्रत्येक याचिका के प्रस्तुत करने के सामान्यतः 30 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होगा। निश्चित समयावधि में जिला चुनाव विवाद समिति द्वारा निर्णय न देने पर राज्य चुनाव विवाद समिति इसके निर्णय के लिए व्यवस्था कर सकती है।

7. जिला चुनाव विवाद समिति के निर्णय की घोषणा के दस दिन के अंदर राज्य चुनाव विवाद समिति के सम्मुख उस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। राज्य चुनाव विवाद समिति को ऐसी अपील पर 30 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होगा। यदि राज्य चुनाव विवाद समिति उक्त समयावधि में निर्णय

करने में असफल रहती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसी अपीलों को निपटाने की समुचित व्यवस्था कर सकती है।

8. संबंधित कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना उस व्यक्ति के अतिरिक्त जो अपील या चुनाव याचिका दायर करता है किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकारिणी के सम्मुख प्रकरण पर तर्क वितर्क करने का अधिकार नहीं होगा। इन अपीलों के सुनवाई में अधिवक्ता/प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये जायेंगे ।

9. राज्य चुनाव समिति के निर्णय की घोषणा के 15 दिन के अंदर केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति के सम्मुख अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी, परन्तु केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति इस प्रकार की अपीलें तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक की ऐसी अपीलों में प्रारंभिक स्तर पर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हों।

## नियम–19, बोर्ड, मोर्चे, प्रकोष्ठ व समितियों का गठन

### (क) मोर्चे प्रकोष्ठ व समितियों का गठन :–

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी निकाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर मोर्चे, प्रकोष्ठ व समितियों के गठन के लिए निर्देश दे सकती है। तथा गठन की प्रक्रिया, तथा कार्यवाही व अधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधी नियमावली बना सकती है।

2. कोई भी इकाई वैध रुप से गठित समझी जायेगी यदि संबंधित कार्यकारिणी/परिषद के लिए चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या के तीन चौथाई सदस्य विधि पूर्वक चुन लिए गये हों। इन सदस्यों की संख्या निर्वाचन अधिकारी निश्चित करेंगे।

### (ख) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड का गठन :–

राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने गठन के बाद सामान्यतः प्रथम बैठक में संसदीय बोर्ड का गठन करेगी, जो नया बोर्ड बनने तक कार्यरत रहेगा। निकाय संविधान में लिखित केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के तीन पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष व शेष सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

### (ग) प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन :–

1. प्रदेश संसदीय बोर्ड का गठन प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा सामान्यतः प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के पश्चात प्रथम बैठक में किया जायेगा। जो नए बोर्ड के गठन होने तक कार्यरत रहेगा इस बोर्ड के तीन पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष व शेष सदस्यों का चुनाव प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

2. यदि कोई राज्य कार्यकारिणी निकाय संविधान के अनुसार प्रदेश संसदीय बोर्ड का चुनाव नहीं कर पाती तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश संसदीय बोर्ड के गठन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

**(घ) तदर्थ समितियों का गठन :–**

जिला और अधीनस्थ इकाइयों को निकाय विधान एवं नियमों के अनुसार अथवा अपने से उच्च इकाई के निर्देशानुसार गठन न होने की स्थिति में उच्चतर कार्यकारिणी तत्कालीन समिति को निलंबित कर सकती है। और उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तदर्थ समिति को गठन कर सकती है। परन्तु राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति के बिना मंडल अथवा जिला इकाई को भंग करने या निलंबित करने का अधिकार राज्य इकाई को नहीं होगा तथा न हीं किसी तदर्थ समिति के गठन का अधिकार होगा। इसी प्रकार राज्य शाखा की अनुमति के बिना मंडल इकाई तथा मंडल इकाई की स्वीकृति के बिना जिला इकाई किसी अधीनस्थ इकाई को भंग नहीं करेगी और न ही वहां तदर्थ समिति का गठन करेगी। इस प्रकार से गठित तदर्थ समिति समान्यतः तीन माह तक कार्यरत रहेंगी। परन्तु उच्चतर इकाई की अनुमति से यह अवधि तीन–तीन माह के लिए बढ़ाई जा सकेंगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी यदि इस बारे में कोई विशेष निर्देश न दिए गए हो तो तदर्थ समिति को वे सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो एक सामान्य इकाई को प्राप्त होते है। फिर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी तदर्थ समिति की अवधि में एक वर्ष से अधिक चार कालखंडों के लिए वृद्धि कर सकती है। जिनकी संख्या अधिकतम चार होगी।

## नियम–20, अनुशासन संबंधी नियम

**(क) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी :–**

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुशासन भंग के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक अनुशासन समिति का गठन करेगी। जिसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 7 सदस्य होंगे। राज्य कार्यकारिणी केन्द्रीय अनुशासन समिति की सहमति/अनुमोदन से राज्य अनुशासन समिति का गठन करेगी। जिसमें अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। केन्द्रीय अनुशासन समिति राज्य अनुशासन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निस्तारण और ऐसे प्रकरणों पर भी निर्णय करेगी जो निकाय के सक्षम महासचिव द्वारा उसे प्रेषित किये जायेंगे।

2. निम्नलिखित प्रतिबंधें के साथ केन्द्रीय अनुशासन समिति राज्य/जिला अनुशासन

समिति उसके अधीनस्थ किसी निकाय इकाई या उसके किसी सदस्य अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध जिसने अनुशासन की अवहेलना की हो अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।

(क) राष्ट्रीय अनुशासन समिति किसी भी इकाई या सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है किन्तु राष्ट्रीय परिषद के विरुद्ध नहीं।

(ख) राज्य अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई कर सकती है जो राष्ट्रीय परिषद एवं संसद के सदस्य न हो। राष्ट्रीय परिषद तथा संसद के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए राज्य अनुशासन समिति राष्ट्रीय अनुशासन समिति को सिफारिश कर सकती है। जिला अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा जिला इकाई के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। परन्तु उसे किसी राष्ट्रीय परिषद राज्य परिषद या विधान मंडल अथवा संसद सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में वह केवल सक्षम अधिकारी/समिति को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सिफारिश कर सकती है।

**ख) अनुशासन समिति की कार्यप्रणाली :–**

(1) अनुशासन समिति को अनुशासनहीनता की सूचना प्राप्त होती है। तो उसका विवरण इस कार्य के निमित पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार का प्रकरण अंकित होने पर उस व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया जायेगा जिसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गई है या कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा उसे नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन का समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जायेगा।

(3) इस प्रकार का नोटिस संबंधित व्यक्ति को पंजीकृत पावति पत्र द्वारा या व्यक्तिगत रुप से (यदि संभव हो) प्रेषित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार के नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन समिति उसका अवलोकन करने व आवश्यक जांच करने के पश्चात निर्णय के लिए आरोप बिन्दु निर्धारित करेगी तथा संबंधित पक्षों से पूछ–ताछ करेगी और साक्ष्य लेगी।

(5) संबंधित पक्षों को जैसी भी स्थिति हो प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जायेगा। संबंधित पक्षों का यह दायित्व होगा कि वह अपेक्षित साक्ष्य निर्धारित समय में प्रस्तुत करें।

(6) अनुशासन समिति किसी भी पक्ष के पहल करने पर किसी भी व्यक्ति को पत्र जारी कर सकती है। जिसमें उसे साक्ष्य के साथ उपस्थित होने या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। परन्तु यदि संबंधित व्यक्ति इस पत्र में निहित सूचना का पालन नहीं करता है तो समिति द्वारा पुनः नोटिस जारी किया जायेगा। फिर भी उत्तर न देने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन समिति यदि आवश्यक समझे तो एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।

(7) प्रमाण उपलब्ध कराने का कार्य समाप्त हो जान के पश्चात संबंधित पक्षों के तर्कों को सुना जायेगा और तत्पश्चात समिति पर्याप्त अन्वेषण के उपरान्त प्रकरण पर अपना निर्णय लिखित रुप में देगी तथा इसकी सूचना संबंधित पक्षों को प्रेषित की जायेगी।

(8) यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है नोटिस दिये जाने के पश्चात अनुपस्थित रहता है तो अनुशासन समिति दूसरा नोटिस जारी करेगी। यदि फिर भी वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही (यदि अनुशासन समिति आवश्यक समझती हो तो ) कर सकती है। परन्तु प्रतिबंध यह है कि एक पक्षीय कार्यवाही करने की स्थिति में प्रकरण का निर्णय होने से पूर्व यदि संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तथा समिति को यह संतुष्ट कर देता है कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने में वह किसी उचित कारण से असमर्थ रहा है, जानबूझ कर नहीं, तो समिति एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर सकती है और प्रकरण की सुनवाई पुनः आरंभ कर सकती है।

## नियम–21, निलंबन का अधिकार

(क) निकाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त किसी भी अधीनस्थ इकाई के किसी भी सदस्य को यदि अनुशासन भंग किये जाने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध हो तो तत्काल निलंबित कर सकते है। परन्तु अध्यक्ष को चाहिए कि वह ऐसे प्रकरण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दे।

(ख) राज्य शाखा का अध्यक्ष (परिषद के अतिरिक्त) राज्य में किसी भी अधीनस्थ इकाई और राज्य परिषद के किसी भी सदस्य को यदि संबंधित इकाई या सदस्य के विरुद्ध अनुशासन भंग होने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध हो निलंबित कर सकता है। परन्तु किसी संसद सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को निलम्बित नहीं कर सकता। उपरोक्त सदस्यों के मामले में वह इस अधिकार का प्रयोग निकाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त ही करेगा। इस प्रकार के निलंबन के

समस्त प्रकरण और तत्पश्चात उन पर लिए गये निर्णय की आख्या निलंबन या निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर निकाय के केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की आगामी बैठक में यह प्रकरण रखना होगा। तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को जिनमें निलंबन की आज्ञा प्रदान की गई हो एक महीने के अंदर निस्तारण के लिए पहल और कार्यवाही करनी होगी।

## नियम–22, अनुशासन भंग होना

निम्न दशाओं में अनुशासन भंग माना जायेगा :–

1. भारत के संविधान के विरुद्व कोई आचरण या ऐसा अपराध तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है।

2. निकाय के कार्यक्रम, नीतियों एवं निर्णयों के विरुद्ध कार्य करना अथवा प्रचार करना।

   **स्पष्टीकरण :** निकाय के किसी निर्णय अथवा कार्यक्रम के विरुद्ध निकाय के किसी भी सदस्य को अपने विचार केवल निकाय के मंच की परिधि में ही व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।

2. किसी भी सक्षम अधिकारी के निर्देश का उल्लघंन करना, निकाय के नियमों की अवहेलना करना, कोष का दुरुपयोग करना, सदस्यों की भर्ती तथा निकाय के चुनाव में भ्रष्ट तरीके काम में लाना।

3. अनधिकृत रुप से निकाय के नाम से धन एकत्र करना।

4. अनैतिक आचरण, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी या गबन के लिए दोषी पाया जाना।

5. निकाय के उद्देश्यों के विरुद्ध काम करना।

6. योजनानुसार ऐसा कार्य करना जिससे निकाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता हो या निकाय इकाइयों या पदाधिकारियों के विरुद्ध या निकाय की नीतियों या कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रचार करना।

7. निकाय के किसी सदस्य के विरुद्ध सार्वजनिक रुप से गंभीर आरोप लगाना।

8. किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार करना।

## नियम–23, नोटिस

1. किसी भी व्यक्ति अथवा इकाई पर लगाए गये आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिये बिना आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2. अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से नोटिस निर्गत किया जा सकता है। बशर्ते की सक्षम अधिकारी यह समझता हो कि संबंधित इकाई या व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन हीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

3. किसी भी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूर्ण करनी होगी।

## नियम–24, दण्ड

1. अनुशासन भंग करने का दण्ड निकाय इकाई की दशा में, उसे भंग किये जाने के रुप में दिया जा सकता है, तथा अनुशासन भंग किये जाने वाले सदस्यों के विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही जो आवश्यक हो की जा सकती है।

2. किसी पदाधिकारी या निकाय इकाई के सदस्य के प्रकरण में उसे उसके पद से या सदस्यता से पृथक किया जा सकता है। तथा ऐसी अवधि निश्चित की जा सकती है जिसके दौरान न तो वह प्रारम्भिक सदस्य बन सकता है और न ही वह किसी पद के लिए मनोनीत हो सकता है और न ही चुना जा सकता है।

3. प्रारम्भिक एवं क्रियाशील सदस्य के प्रकरणों में उसे सदस्यता से पृथक किया जा सकता है तथा एक निश्चित कालखंड के लिए सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

4. कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो तथा दण्ड दिया गया हो यदि किसी स्वायत संस्था, विधान मंडल, संसद या निकाय का सदस्य होने के कारण कोई दूसरा पद धारण करता है जो उसे ऐसे पद से भी त्याग–पत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

## नियम–25, अनुशासनात्मक कार्यवाही की आख्याएं

जब जिला अथवा राज्य अनुशासन समिति में से किसी समिति ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की हो तो उसके निर्णय की सूचना एक सप्ताह के अर्न्तगत क्रमशः राज्य कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिया जाना आवश्यक है।

## नियम–26, अपील

(क) निकाय की किसी भी इकाई या सदस्य को, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर राज्य समिति के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय समिति के पास अपील करने का अधिकार होगा, परन्तु उस निर्णय का पालन करते हुए जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। निकाय अध्यक्ष तथा राज्य शाखा के अध्यक्ष इस प्रकार की आज्ञा को जैसा प्रकरण है, यदि उचित समझें तो कार्यरुप में परिणित होने से स्थगित कर सकते है।

(ख) संबंधित समिति से आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्तर्गत ही अपील के लिए दो प्रतियों में प्रार्थना पत्र सक्षम समिति के सम्मुख प्रेषित किया जाना चाहिए।

(ग) इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिसमें किसी सदस्य को निर्वाचित समिति से हटाया गया हों अपील के निस्तारण तक रिक्त–स्थान की पूर्ति नहीं की जायेगी।

(घ) कोई भी अपील प्रस्तुत होने के दो महीने के अन्तर्गत निस्तारित कर दी जायेगी।

## नियम–27, अपील पर कार्यवाही

(क) अपील प्राप्त होने पर उसे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजिका में अंकित किया जायेगा। तथा अपील की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की जायेगी।

(ख) अपील के साथ अपील कर्त्ता अपने पंजीकृत पते की भी सूचना समिति को प्रेषित करेगा।

(ग) इस प्रकार उस पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस उसको दी गयी पर्याप्त सूचना समझा जायेगा।

(घ) अपीलकर्त्ता को सुनवाई की तिथि व्यक्तिगत रुप से या प्राप्ति कार्ड के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(ड) अपील की सुनवाई की तिथि से पूर्व केन्द्रीय अनुशासन समिति संबंधित राज्य अनुशासन समिति से अपील संबंधी पत्रावली मंगा लेगी।

(च) यदि आवश्यक हो तो राज्य अनुशासन समिति, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई हो, का तर्क भी उसके प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जायेगा।

(छ) सभी संबंधित पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात तथा संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात अपील पर निर्णय उसी दिन दिया जा सकता है। या उसके लिए अन्य तिथि निश्चित की जा सकती है। निर्णय के उपरांत उसकी प्रति संबंधित पक्षों को जारी की जायेगी।

(ज) स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में केन्द्रीय अनुशासन समिति प्राकृतिक न्याय,औचित्य एवं विवेक के अनुसार जैसा उचित समझे कार्यवाही कर सकती है।

## नियम–28, कार्यवाहक अध्यक्ष

निकाय की प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उस अवधि के लिए जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष पद पर कार्य करने में असमर्थ है अपने से उच्च स्तर की इकाई की कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति लेकर उपाध्यक्षों में से या विशेष स्थितियों में बाहर से किसी सक्रिय सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

## नियम–29, विशेष

पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति व संगठन को चलाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन नियमों में आवश्यक परिवर्तन व संशोधन कर सकती है, तथा नये नियम बना सकती है।

# बहुजन शक्ति

फार्म 'क'

## प्राथमिक सदस्यता आवेदन पत्र

क्रमांक.....

राज्य का नाम.....

अध्यक्ष/सचिव

**बहुजन शक्ति**

मैं **बहुजन शक्ति** का सदस्य/सदस्या बनना चाहता/चाहती हूं। मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है। मैं पार्टी के उद्देश्यों से सहमत हूं तथा इसके संविधान में दिये गये उद्देश्यों के प्रति समर्पित होना चाहता/चाहती हूं। मै शपथ लेता/लेती हूं कि :–

1) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखुंगा/रखुंगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखुंगा/रखुंगी।

2) मै जाति, लिंग, मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का विरोध करता/करती हूं तथा छुआ–छुत को उसके लिए किसी भी रुप में नहीं मानता/मानती हूं।

3) मै किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य/सदस्या नहीं हूं और पार्टी का सदस्य रहने तक न ही बनूंगा/बनूंगी।

4) मै वचन देता/देती हूं कि पूर्ण निष्ठा तथा आस्था से पार्टी के संविधान, नियमों व अनुशासन का तथा कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों का पालन करुगां/करुगीं।

---

**प्रार्थी को दी जाने वाली रसीद**

## बहुजन शक्ति

प्रदेश.....

दिनांक .....

क्र.सं.....

जिला .....

मंडल .....

वार्ड/ग्राम .....

मतदान केन्द्र .....

पता .....

.श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति/माता का नाम.....

से पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र व दस रुपये द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क सहित प्राप्त हुए। सत्र..... व .....)

सदस्य बनाने वाले के हस्ताक्षर

नाम.....

उम्र.....

पता.....

प्रदेश अध्यक्ष के

हस्ताक्षर की मुहर/सील

मै इस आवेदन पत्र के साथ द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये दस जमा करा रहा/रही हूं। मेरा विवरण निम्न प्रकार है –

नाम .....

पिता/पति/माता का नाम .....

आयु..... व्यवसाय और उसकाता.....

स्थायी पता .....

वर्तमान पता.....

जिला..... मंडल..... ग्राम वार्ड.....

मतदान केन्द्र.....

मै आज दिनांक..... को शपथ पर घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है।

सदस्य बनाने वाले के हस्ताक्षर

प्रार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

राष्ट्रीय अध्यक्ष की सील

सदस्यता क्रमांक..... सदस्यता स्वीकृत/अस्वीकृत

हस्ताक्षर सचिव/अध्यक्ष

.....

**शपथ**

1. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखुंगा/रखुंगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखुंगा/रखुगी।
2. मै जाति, लिंग मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का विरोध करता/करती हूं तथा छुआ–छूत को उसके किसी भी रुप में नहीं मानता/मानती हूं।
3. मै किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य/सदस्या नहीं हूं और पार्टी का सदस्य रहने तक न ही बनूंगा/बनूंगी।
4. मै वचन देता/देती हूं कि पूर्ण निष्ठा तथा आस्था से पार्टी के संविधान, नियमों तथा कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करुंगा/करुंगी।

# बहुजन शक्ति

फार्म 'ख'

## क्रियाशील सदस्यता आवेदन पत्र

राज्य का नाम..... क्रमांक.....

अध्यक्ष/सचिव

**बहुजन शक्ति**

मैं **बसपा कांशीवादी** का प्रारंभिक सदस्य/सदस्या सदस्यता क्रमांक..... दिनांक..... ..... को बन गया था/थी।

मै विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखुंगा/रखुंगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखुंगा/रखुंगी।

मैं पार्टी के क्रियाशील सदस्य के रुप में अपनी सेवाएं देना चाहता/चाहती हूं।

मैने गतवर्ष में 50 प्राथमिक सदस्य, इनका विवरण संलग्न है, बनाए हैं तथा उनका शुल्क पार्टी कोष में रसीद क्रमांक..... दिनांक..... से जमा करा दिया है।

मैंने गत सत्र में केन्द्र/प्रदेश/जिला कार्यकारिणी की योजना एवं निर्देशानुसार अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न है।

मुझ पर पार्टी का किसी प्रकार का धन/हिसाब बकाया नहीं है।

मैं पुनः वचन देता/देती हूं कि पूर्ण निष्ठा तथा आस्था से पार्टी के संविधान, नियमों तथा कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करुंगा/करुंगी।

.....

**प्रार्थी को दी जाने वाली रसीद**

### बहुजन शक्ति

**प्रदेश**.....

दिनांक ..... क्र.सं.....

जिला ..... मंडल .....

वार्ड/ग्राम ..... मतदान केन्द्र .....

पता .....

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति/माता का नाम.....से पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र व बीस रूपये द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क सहित प्राप्त हुए।

(सत्र..... व .....)

प्रदेश अध्यक्ष के
हस्ताक्षर की मुहर/सील

सदस्य बनाने वाले के हस्ताक्षर
नाम.....
उम्र.....
पता.....
.....

अतःमैं अनुरोध करता/करती हूं कि मेरा नाम सत्र..... के लिए क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में सम्मिलित कर लिया जाये।

हस्ताक्षर प्रमाणित कर्त्ता
नाम व पता

हस्ताक्षर आवेदक
नाम.....
पिता/पति/माता का नाम.....
पता.....
.....

श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक है और मो सदस्य का नाम क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में दर्ज करने की संस्तुति करता हूं।

आवेदन स्वीकार/अस्वीकार किया गया

हस्ताक्षर जिलाध्यक्ष

.....

**शपथ**

1. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखुंगा/रखुंगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखुंगा/रखुगी।
2. मैंजाति, लिंग मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का विरोध करता/करती हूं तथा छुआ–छूत को उसके किसी भी रुप में नहीं मानता/मानती हूं।
3. मैं किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य/सदस्या नहीं हूं और पार्टी का सदस्य रहने तक न ही बनूंगा/बनूंगी।
4. मैं वचन देता/देती हूं कि पूर्ण निष्ठा तथा आस्था से पार्टी के संविधान, नियमों तथा कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करुंगा/करुंगी।